न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या 25/2019

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुंझुनू (राज.)।

—— प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र महावीर प्रसाद जाति सोनी निवासी पिलानी जिला झुंझुनू।
2. राजकुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति सोनी निवासी पिलानी जिला झुंझुनू।
3. सुरेश पुत्र महावीर प्रसाद जाति सोनी निवासी पिलानी जिला झुंझुनू।
4. उमेश केडिया पुत्र गोविन्दराम जाति महाजन निवासी पिलानी जिला झुंझुनू।
5. गोविन्दराम केडिया पुत्र मुरारीलाल जाति महाजन निवासी पिलानी जिला झुंझुनू।

—— अप्रार्थीगण

——

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
एवं धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थितः–

1. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक प्रार्थी की ओर से।
2. श्री विजयपाल ऐडवोकेट – अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 की ओर से।

आदेश

दिनांक 31.07.2019

1. उक्त विषयक रेफरेन्स तहसीलदार सूरजगढ़ ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2016 – 19 में साबिक खसरा नम्बर 675 मी. रकबा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकीन जोहड़ की खातेदारी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, झाड़ीदार वन राजकीय नाम से दर्ज थी। उसके बाद निरन्तर उक्त खसरा नम्बर की किस्म गैर मुमकीन जोहड़ रही है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2017 –2020 के अनुसार सं. 2018 व सं. 2019 में न्यायालय के आदेश से खातेदारी दर्ज होने वाले खातेदारों के पिता महावीर वल्द लक्ष्मीनारायण कौम सुनार भी उप कृषक दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी सं. 2031 – 32 के अनुसार काश्त खरीफ में महावीर प्रसाद पुत्र लक्ष्मण जाति सुनार रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा उप कृषक रिकॉर्ड दर्ज रही है। भू – प्रबन्ध की अवधि सम्वत् 2044 से 2063 में उक्त खसरा नम्बर के नये खसरा निम्नानुसार रहे साबिक खसरा नम्बर 678 मी. हाल खसरा नम्बर 742 रकबा 0.02 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 675 मी. हाल खसरा नम्बर 743 रकबा 3.50 हैक्टर है। भू – प्रबन्ध विभाग की मिसल हकीयत में खसरा नम्बर 742 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन ढाणी एवं खसरा नम्बर 743 रकबा 3.50 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़ की खातेदारी अलावा जोत नाकाबिल काश्त गैर मुमकीन जोहड़ के नाम से दर्ज हुई। माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर झुंझुनू के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.01.2002 द्वारा ग्राम पिलानी के गत खसरा नम्बर 675/4 रकबा 17 बीघा 1 बिस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 742 रकबा 0.02 हैक्टर व हाल खसरा नम्बर 743 रकबा 3.50 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.52

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

हैक्टर का वादीगण को सम्भाग खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर झुंझुनू के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.2002 की अपील राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार चिड़ावा द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जो अपील संख्या 38/2002 के रूप में दर्ज हुई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.09.2004 द्वारा अपील खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 1092/2006/टी.ए./झुंझुनू प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 17.03.2011 से अपील स्वीकार कर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.09.2004 निरस्त कर अपील को गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर को प्रतिप्रेषित किया, जो पुनः दर्ज कर अपील पुनः नम्बर पर लेकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2012 के द्वारा अपील में निर्णय पारित कर अपील स्वीकार करने का निर्णय पारित किया। जिसकी द्वितीय अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में अपील संख्या 5350/2012/डिक्री/टी.ए./झुंझुनू पेश की गई, जिसमें दिनांक 06.12.2012 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर को प्रतिप्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर ने अपील संख्या 38/2014 का निर्णय दिनांक 11.10.2018 को पारित कर डिक्री दिनांक 15.10.2018 को जारी की गई है, जिसमें राजस्व ग्राम पिलानी के खसरा नम्बर 742 रकबा 0.02 हैक्टर एवं 743 रकबा 3.50 हैक्टर कुल रकबा 3.52 हैक्टर की राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकीन जोहड़ के स्थान पर बारानी तृतीय करने के आदेश दिये गये है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के पत्रांक 275 दिनांक 18.12.2018 द्वारा निर्णय एवं डिक्री की प्रति पालना हेतु इस कार्यालय में प्राप्त हुई, जिसके संबंध में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनू को अवलोकनार्थ एवं विधिक परीक्षण उपरान्त उचित मार्गदर्शन हेतु कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2018/550 दिनांक 18.12.2018 द्वारा लिखा गया। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनू के पत्रांक राजस्व/नामा./2018/2016 दिनांक 24.12.2018 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के मुकदमा अपील संख्या 38/2014 के निर्णय दिनांक 11.10.2018 एवं डिक्री दिनांक 15.10.2018 की नियमानुसार पालना सुनिश्चित करने हेतु लिखा गया है। किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने से तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के अपील संख्या 38/2014 के निर्णय दिनांक 11.10.2018 एवं डिक्री दिनांक 15.10.2018 की पालना राजस्व रिकॉर्ड में कर दी। जिससे ग्राम पिलानी की भूमि खसरा नम्बर 742 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय एवं 743 रकबा 3.50 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय की खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 2527 दिनांक 10.04.2018 के जरिये ओमप्रकाश, राजकुमार, सुरेश पि. महावीर प्रसाद ब.हि.ब. जाति सुनार, निवासी पिलानी के नाम दर्ज हुई। उपरोक्त भूमि की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074 – 77 खसरा नम्बर 742 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म बारानी।।। की खातेदारी ओमप्रकाश पुत्र महाबीर प्रसाद, जाति सोनी हि. 1/3, राजकुमार पुत्र महावीर प्रसाद, जाति सोनी हि. 1/3, सुरेश पुत्र महावीर प्रसाद जाति सोनी हि. 1/3 निवासी पिलानी के नाम से दर्ज है तथा खसरा नम्बर 743 रकबा 3.50 हैक्टर किस्म बारानी।।। की खातेदारी उमेश केड़िया पुत्र गोविन्दराम केड़िया जाति महाजन हिस्सा 8633/17500, ओमप्रकाश पुत्र महावीर प्रसाद, जाति सोनी हिस्सा 3151/52500, गोविन्दराम केड़िया पुत्र मुरारीलाल केड़िया, जाति महाजन हिस्सा 1429/4375, राजकुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति सोनी हिस्सा 3151/52500 सुरेश पुत्र महावीर प्रसाद जाति सोनी हिस्सा 3151/52500 निवासी पिलानी के नाम से दर्ज है। चूंकि सहायक कलक्टर झुंझुनू का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.2002 का है, तत्समय अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दी गई व्यवस्था प्रभाव में नहीं थी। वर्तमान परिपेक्ष्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1536/03 में दिये गये निर्णय दिनांक 02.08.2004 के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/नियमन पर प्रतिबन्ध है। उक्त व्यवस्था प्रभाव में है। निर्णय के अनुसार " All land shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15.08.1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingl. " वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1536/03 के निर्णय के अनुसरण में व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिहं व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO. 1132/2011 @ SLP(C) NO. 3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC no. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28.01.2011 के अनुसरण में रेफरेन्स प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों के परिपेक्ष्य में उक्त रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर राजकीय भूमि घोषित करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2. रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये तथा प्रारम्भिक आपति बाबत क्षेत्राधिकार पेश की तथा निवेदन किया कि उक्त रेफरेन्स आराजी हाल खसरा नम्बर 742 रकबा 0.02 हैक्टर एवं हाल खसरा नम्बर 743 रकबा 3.50 हैक्टर सरहद कस्बा पिलानी के बाबत प्रस्तुत हुआ है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में खातेदारी व किस्म जमीन बारानी तृतीय का अंकन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकार द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2018 एवं 15.10.2018 अपील संख्या 38/14 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम ओमप्रकाश के आधार पर हुआ है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकार्ड में अंकन श्रीमान से उचित मार्गदर्शन लेकर तहसीलदार (भू.अ.) सूरजगढ़ जिला झुंझुनू ने किया है। इस प्रकार आवेदक की तरफ से एक स्वीकृत तथ्य है कि उक्त आराजी की किस्म गैर मुमकीन जोहड़ से बारानी तृतीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अदालत मातहत हाजा का अधिनस्थ न्यायालय अथवा अधिकारी नहीं है। अदालत हाजा को अपने अधिनस्थ न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा निर्णित मुकदमें के या उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख पर आदेश की वैधता अथवा औचित्य से तथा कार्य प्रविष्टियों की नियमितता से अपने आप को सन्तुष्ट करने के प्रयोजन के लिये अभिलेख मंगवाने एवं परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार है। अदालत हाजा को उक्त प्रकरण में सुनवाई का कोई भी उचित आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। अदालत हाजा को राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्ध रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः निवेदन है कि विपक्षीगण का आवेदन पत्र स्वीकार करवाया जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को क्षेत्राधिकार के आधार पर निरस्त फरमाया जावें।

3. बहस सुनी गई। बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुये निवेदन किया कि जमाबन्दी सम्वत् 2016 – 19 में साबिक खसरा नम्बर 675 मी. रकबा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकीन जोहड़ की खातेदारी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, झाड़ीदार वन राजकीय नाम से दर्ज थी। उसके बाद निरन्तर उक्त खसरा नम्बर की किस्म गैर मुमकीन जोहड़ रही है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2017 –2020 के अनुसार सं. 2018 व सं. 2019 में न्यायालय के आदेश से खातेदारी दर्ज होने वाले खातेदारों के पिता महावीर वल्द लक्ष्मीनारायण कौम सुनार भी उप कृषक दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी सं. 2031 – 32 के अनुसार काश्त खरीफ में महावीर प्रसाद पुत्र लक्ष्मण जाति सुनार रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा उप कृषक रिकॉर्ड दर्ज रही है। भू – प्रबन्ध की अवधि सम्वत् 2044 से 2063 में उक्त खसरा नम्बर के नये खसरा निम्नानुसार रहे साबिक खसरा नम्बर 678 मी. हाल खसरा नम्बर 742 रकबा 0.02 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 675 मी. हाल खसरा नम्बर 743 रकबा 3.50 हैक्टर है। भू – प्रबन्ध विभाग की मिसल हकीयत में खसरा नम्बर 742 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन ढाणी एवं खसरा नम्बर 743 रकबा 3.50 हैक्टर किस्म गैर

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

मुमकीन जोहड़ की खातेदारी अलावा जोत नाकाबिल काश्त गैर मुमकीन जोहड़ के नाम से दर्ज हुई। सहायक कलक्टर झुंझुनू का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.2002 का है, तत्समय अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दी गई व्यवस्था प्रभाव में नहीं थी। वर्तमान परिपेक्ष्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1536/03 में दिये गये निर्णय दिनांक 02.08.2004 के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/नियमन पर प्रतिबन्ध है तथा उक्त वर्णित भूमि जोहड़ होने से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने के कारण खातेदारी दी जानी उचित नही है। उक्त भूमि की खातेदारी किसी भी निजी व्यक्ति को दिया जाना या आन्तरण किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है। उक्त भूमि के संबंध में किये गये समस्त प्रकार के आवंटन/नियमन/अन्तरण या आज तक की गई परिवर्तन की कार्यवाही प्रारम्भ से ही शुन्य प्रभावी है। माननीय न्यायालय जोधपुर के यहां दर्ज एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1536/03 अब्दूल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के अन्दर दिये गये निर्णय के अनुसार उक्त भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने के कारण गैर खातेदार की गैर खातेदारी से हटाई जाकर राज्य सरकार के नाम दर्ज की जानी आवश्यक हो गई है। अतः ग्राम पिलानी स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 742 रकबा 0.02 हैक्टर तथा हाल खसरा नम्बर 743 रकबा 3.50 हैक्टर की खातेदारी अप्रार्थीगण के पूर्वजो खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज की जानी उचित है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खातेदारी निरस्त करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां भेजा जावे।

4. वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक के कथनों का विरोध किया तथा नजीर आर.एल.डब्लू 2018(2) लेक पेलेस होटेलस एण्ड मोटेलस बनाम राजस्थान सरकार व अन्य पृष्ठ संख्या 1130 से 1141 की ध्यान आकर्षित करते हुये जबाब में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा कथन किया कि विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 742 रकबा 0.02 हैक्टर एवं हाल खसरा नम्बर 743 रकबा 3.50 हैक्टर कस्बा पिलानी के बाबत राजस्व रिकार्ड में खातेदारी व किस्म जमीन बारानी तृतीय का अंकन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2018 एवं 15.10.2018 के आधार पर हुआ है तथा उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकार्ड में अंकन श्रीमान से उचित मार्गदर्शन लेकर तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा किया गया है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अदालत मातहत हाजा का अधिनस्थ न्यायालय अथवा अधिकारी नहीं है। अदालत हाजा को अपने अधिनस्थ न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा निर्णित मुकदमें के या उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख पर आदेश की वैधता अथवा औचित्य से तथा कार्य प्रविष्टियों की नियमितता से अपने आप को सन्तुष्ट करने के प्रयोजन के लिये अभिलेख मंगवाने एवं परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार है। अदालत हाजा को उक्त प्रकरण में सुनवाई का कोई भी उचित आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। अदालत हाजा को राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्ध रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावें।

5. हमने बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया व पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजो तथा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया। प्रकरण में विवादित भूमि सम्वत् 2016 – 19 में साबिक खसरा नम्बर 675 मी. रकबा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकीन जोहड़ की खातेदारी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, झाड़ीदार वन राजकीय नाम से दर्ज थी। उसके बाद निरन्तर उक्त खसरा नम्बर की किस्म गैर मुमकीन जोहड़ रही है। उक्त भूमि की बाबत सर्व प्रथम न्यायालय सहायक कलक्टर झुंझुनू द्वारा दिनांक 25.01.2002 को निर्णय पारित किया गया। जिससे विरूद्ध राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार सूरजगढ़ ने अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के यहां की गई जो दिनांक 04.09.2004 को न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। उक्त आदेश के विरूद्ध तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां अपील प्रस्तुत की जिसे बाद

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

सुनवाई राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 17.03.2011 को स्वीकार कर आदेश दिनांक 04.09.2004 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया गया। उक्त आदेश की पालना में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर ने अपील स्वीकार करने का निर्णय पारित किया। जिसकी द्वितीय अपील अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 06.12.2012 को स्वीकार कर प्रकरण पुनः न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर को प्रेषित कर दिया गया। अंत मे न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर ने अपील संख्या 38/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2018 व 15.10.2018 पारित कर उक्त विवादित भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा इस कार्यालय से मार्गदर्शन चाहने पर कार्यालय हाजा के पत्रांक राजस्व/नामा./2018/2016 दिनांक 24.12.2018 द्वारा उक्त विवादित भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 2527 द्वारा दर्ज हुई है। प्रकरण में अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त विवादित भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2018 व 15.10.2018 की पालना में दर्ज की गई है। उक्त आदेश के विरूद्ध सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

प्रकरण में यह तथ्य तो साफ है कि विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 742 रकबा 0.02 हैक्टर तथा हाल खसरा नम्बर 743 रकबा 3.50 हैक्टर की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के आदेश की पालना में दर्ज की गई है। चुंकि यह न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित आदेशों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं रखता है। यदि न्यायालय द्वारा तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2527 को निरस्त कर प्रार्थना पत्र स्वीकार भी कर लेता है तो उक्त न्यायालय का आदेश यथावत ही रहेगा। जिसे निरस्त किया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं। जिससे वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरें प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी को दिया जाना संभव नहीं है। जिससे इस प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का आदेश पारित करने का कोई औचित्य शेष नहीं रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से तथा न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारीज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरजगढ़ को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनू